राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3363/2021

जगदीश प्रसाद **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. सचिव सह आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान, सचिवालय, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, सचिवालय, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
5. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर जरिये सचिव।
6. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 25.08.2021
आदेश की दिनांक : 09.06.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को अतिरिक्त आयुक्त परिवहन के पद पर पदोन्नति हेतु रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध दिनांक 01.04.2015 से विचार करते हुए सभी पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें और पेंशन परिलाभ भी उचित निर्धारित किए जावें तथा समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति मोटर वाहन उप निरीक्षक के पद पर आदेश दिनांक 23.08.1980 के द्वारा हुई थी और उसे मोटर वाहन निरीक्षक के पद पर तथा जिला क्षेत्रीय अधिकारी (डीटीओ) और तत्पश्चात् सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) और बाद में उपायुक्त/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (डीसी/आरटीओ) के पद पर रिक्ति वर्ष 2005–06 के विरूद्ध अनुसूचित जाति वर्ग से पदोन्नत किया गया, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने दिनांक 16.07.2005 को कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी (डीसी/आरटीओ) के पद पर रिक्ति वर्ष 01.04.2005 के विरूद्ध दिनांक 16.07.2005 से कार्य कर रहा है और 5 वर्ष का पूर्ण अनुभव उसे दिनांक 01.04.2010 को हो चुका है। तदुपरान्त संयुक्त आयुक्त परिवहन के पद पर रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध आदेश दिनांक 01.10.2013 के द्वारा अपीलार्थी के नाम पर विचार किया गया और अपीलार्थी को पदोन्नत कर उसी दिन दिनांक 01.10.2013 को संयुक्त आयुक्त परिवहन के पद पर कार्यग्रहण किया। राज्य सरकार के अधिसूचना दिनांक 04.09.2013 के द्वारा अतिरिक्त आयुक्त के पद के लिए जारी की गई जो 100 प्रतिशत पदोन्नति के आधार पर भरे जाने वाला पद है, जिसमें संयुक्त आयुक्त परिवहन एवं आरटीओ के पद का अनुभव 5 वर्ष का होना आवश्यक है अथवा राज्य सेवा में 25 वर्ष की सेवा अनिवार्य है। इस प्रकार अतिरिक्त आयुक्त के पद के लिए 5 वर्ष का अनुभव संयुक्त आयुक्त परिवहन सह आरटीओ के पद का होना अनिवार्य है। उनका कथन है कि उक्त पद पर पदोन्नति के लिए रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध अपीलार्थी के नाम पर विचार किया जाना था लेकिन अपीलार्थी को अतिरिक्त आयुक्त परिवहन के पद पर पदोन्नत नहीं करते हुए कहा गया कि पद उपलब्ध नहीं है लेकिन रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध जब अपीलार्थी के नाम पर पदोन्नति के लिए विचार किया गया। तब डीपीसी मिनट्स के अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग का पद उपलब्ध था और अपीलार्थी आरटीओ सह संयुक्त निदेशक के पद का 5 वर्ष का अनुभव रखता है, जिसमें अपीलार्थी का योग्य भी माना है, परंतु रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध पदोन्नत नहीं किया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी के मामले पर रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध उचित रूप से विचार नहीं किया गया और अपीलार्थी अर्द्धवार्षिकी आयु प्राप्त होने पर माह नवम्बर, 2015 में राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। अपीलार्थी का मामला अतिरिक्त आयुक्त परिवहन के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 01.04.2015 से विचार किए जाने योग्य है। अपीलार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या

17131/2015 प्रस्तुत की, जिसमें उसने उपायुक्त परिवहन के पद पर पदोन्नति हेतु रिक्ति वर्ष 2005–06 के विरूद्ध विचार करने के संबंध में प्रार्थना की और बाद में सुधार किया गया तथा अपीलार्थी के नाम पर अतिरिक्त परिवहन आयुक्त के पद पर पदोन्नति हेतु रिक्ति वर्ष 2012–13 अथवा 2013–14 में विचार किया जावे, जिसके क्रम में माननीय न्यायालय ने अपीलार्थी को अभ्यावेदन देने तथा प्रत्यर्थी विभाग को उसका निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया। अपीलार्थी ने उक्त पालना में प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन दिया, परंतु अपीलार्थी का अभ्यावेदन आज दिनांक तक लंबित है। अपीलार्थी ने अतिरिक्त आयुक्त के पद पर पदोन्नति हेतु रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध दिनांक 01.04.2015 से दावा कर रहा है और उसका प्रकरण गलत तरीके अधिसूचना दिनांक 04.09.2013 के संदर्भ में निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार अपीलार्थी के नाम पर अतिरिक्त परिवहन आयुक्त के पद पर रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध दिनांक 01.04.2015 से विचार किया जाए और समस्त पारिणामिक लाभ दिए जाएं।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को अतिरिक्त आयुक्त परिवहन के पद पर पदोन्नति हेतु रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध दिनांक 01.04.2015 से विचार करते हुए सभी पारिणामिक लाभ प्रदान किए जावें और पेंशन परिलाभ भी उचित निर्धारित किए जावें तथा समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि संबंधित सेवा नियम में अधिसूचना दिनांक 04.09.2013 में अतिरिक्त परिवहन आयुक्त कम प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पद पर पदोन्नति हेतु संयुक्त परिवहन आयुक्त कम प्रादेशिक परिवहन अधिकारी का कार्यानुभव 5 वर्ष का या संयुक्त परिवहन आयुक्त कम प्रादेशिक परिवहन अधिकारी व अधीनस्थ पदों पर 25 वर्षों का संयुक्त अनुभव वांछनीय है। अपीलार्थी की वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध चयनित संयुक्त परिवहन आयुक्त है एवं वर्ष 1993–94 के चयनित जिला परिवहन अधिकारी हैं। इस प्रकार इन्हें जिला परिवहन अधिकारी एवं उच्चतर पदों पर दिनांक 01.04.2015 को 21 वर्ष का अनुभव हुआ है। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त परिवहन आयुक्त पद पर वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति नहीं होगी। अतिरिक्त परिवहन आयुक्त पद पर वर्ष 2013–14 की

रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु विभाग द्वारा बनायी गई पात्रता सूची में अपीलार्थी का नाम सम्मिलित किया गया था। वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु विभाग द्वारा बनाई गई पात्रता सूची में भी अपीलार्थी का नाम सम्मिलित किया गया था, परंतु अतिरिक्त परिवहन आयुक्त पद पर पदोन्नति हेतु संयुक्त परिवहन आयुक्त कम प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पद पर 5 वर्ष का अनुभव या संयुक्त परिवहन आयुक्त/प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी एवं जिला अधिकारी परिवहन अधिकारी पद पर कुल 25 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा श्री जगदीश प्रसाद का अनुभव पूर्ण नहीं माना गया। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब का उल जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि संयुक्त परिवहन आयुक्त का पद आदेश दिनांक 19.09.2013 के द्वारा सृजित किया गया था और बाद में नियमों में संशोधन कर नया पद सृजित किया गया, जिसमें 5 वर्ष के अनुभव का कोई नियम नहीं था और यह भी दिनांक 19.09.2013 को सृजित किया गया। अपीलार्थी आदेश दिनांक 01.10.2013 के द्वारा संयुक्त परिवहन आयुक्त के पद पर पदोन्नत किया गया, जिसके साथ अन्य कार्मिक भी पदोन्नत किए गए, जिसमें 5 वर्ष के अनुभव की कोई विषय ही नहीं है। इस प्रकार अपीलार्थी अतिरिक्त परिवहन आयुक्त के पद पर रिक्ति वर्ष 2015–16 के विरूद्ध पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी माह नवम्बर, 2015 में संयुक्त परिवहन आयुक्त सह प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के पद से अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर सेवानिवृत्त हो चुका है। जहां तक अपीलार्थी को आदेश दिनांक 12.01.2016 के द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष 2015–16 में अपर परिवहन आयुक्त के पद पर पदोन्नत नहीं किए जाने का प्रश्न है, हमारे मत में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 04.09.2013 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपर परिवहन आयुक्त के पद पर पदोन्नति हेतु संयुक्त परिवहन आयुक्त सह प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के पद का 5 वर्ष का अनुभव अथवा परिवहन अधिकारी के पद पर नियुक्ति दिनांक से 25 वर्ष की सेवा का अनुभव होना अनिवार्य है। उक्त आदेश में बाबूलाल मीणा, हरीश कुमार शर्मा एवं रमेश चंद यादव

को 25 वर्ष की सेवाएं होने पर अपर परिवहन आयुक्त के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई, परंतु अपीलार्थी का 25 वर्ष की सेवाओं का अनुभव नहीं होने पदोन्नति नहीं दी गई, लेकिन संयुक्त परिवहन आयुक्त सह प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के पद का 5 वर्ष का अनुभव होने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अतिरिक्त परिवहन आयुक्त पद पर वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु विभाग द्वारा बनाई गई पात्रता सूची में अपीलार्थी का नाम सम्मिलित किया गया था, किंतु उक्त पद पर पदोन्नति हेतु संयुक्त परिवहन आयुक्त कम प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पद पर 5 वर्ष का अनुभव या संयुक्त परिवहन आयुक्त कम प्रादेशिक परिवहन अधिकारी व अधीनस्थ पदों पर 25 वर्षों का संयुक्त अनुभव वांछनीय है और अपीलार्थी का उक्त पदों पर 5 वर्ष अथवा 25 वर्षों का अनुभव नहीं होने के कारण उसे अतिरिक्त परिवहन आयुक्त के पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं की गई, जो नियमों एवं परिपत्रों के अनुसार उचित प्रतीत होता है। अतः अपीलार्थी की अपील में बल न होने के कारण खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य